



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2938 वर्ष 2026

राजेंद्र प्रसाद
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : गोकर्ण सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसे केस संख्या 05878/2020 के रूप में पंजीकृत किया गया। इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2-उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-मौनाथ भंजन, जिला मऊ ने दिनांक 30.12.2020 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर निजी प्रतिवादी संख्या 10 प्रमोद ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन के साथ वापसी आवेदन दायर किया। दोनों आवेदन दिनांक 07.01.2026 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिए गए। इस आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
2. अभिलेख की जांच से पता चलता है कि आवेदन के साथ बिक्री विलेख की प्रति भी संलग्न की गई थी और उसकी जांच करने के बाद दिनांक 30.12.2020 के आदेश को वापस ले लिया गया और प्रतिवादी संख्या 10 को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया गया।
3. मामले के अभिलेखों की जांच करने के बाद, न्यायालय को यह नहीं मिला कि याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह हुआ है और उपरोक्त आदेश द्वारा केवल यह निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक नया आदेश पारित किया जाए, जो अपने पक्ष में विक्रय विलेख के कारण अपने अधिकार का दावा कर रहा है।
4. वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
5. यह रिट याचिका गुण-दोष हीन होने के कारण खारिज की जाती है।

12 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"